

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं० :- 19/2019

(75 एल.आर.एक्ट)

उनवान

1. नाथूराम पुत्र खैराती जाति मीणा निवासी मैजोड तहसील थानागाजी, जिला अलवर राज०,

..... अपीलांत

बनाम

1. तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज० ।

..... रेस्पो०

उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, अभिभाषक अपीलांत ।
2. श्री गणपतसिंह नरुका राजकीय अभिभाषक रेस्पो० ।

∴ निर्णय ∴

दिनांक :- 26.11.2019

यह अपील विद्वान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दि० 15.01.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार थानागाजी के आदेश दि० 04.10.2017 जिसके तहत अपीलांत को अतिकमी मानते हुए ग्राम टोडी लुहारान के खसरा नंबर 242 रकबा 0.25 है० किस्म गै०मु० राडा पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत की बहस सुनी । अपील के तथ्यों को ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 04.10.2017 को यथावत रखते हुये दिनांक 15.01.2019 को अपील अपीलांत खारिज कर दी जिस निर्णय दि० 15.01.2019 से व्यथित होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत का कथन है कि विवादित आराजी ग्राम टोडी लुहारान के खसरा नंबर 242 रकबा 0.25 है० किस्म गै०मु० राडा पर अपीलांतान का

कब्जा होना जाहिर किया है। अपीलांट को धारा 91(7) भू राजस्व अधिनियम के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई नोटिस नहीं दिया फिर भी अपीलांट को बिना सूचना, बिना सुनवाई का अवसर दिये विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण अपीलांट ने नहीं किया यानि पूर्व में अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया फिर भी तहत अदालत ने केवल मात्र पटवारी हलका के बयानों के आधार पर ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 02 माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिये तहत अदालत में पूर्व वाले बेदखली के निर्णय की प्रति पेश करना आवश्यक होता है जिसके अभाव में तहत अदालत द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना विधि विरुद्ध है। अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हलका ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तहत अदालत में पेश की है। साथ ही निर्णय करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी खसरा नंबर 242 बडा रकबा है जिसमें से 0.25 है० का अपीलांट को अतिक्रमी माना है। यह रकबा किस तरफ का है यह भी पटवारी हलका की रिपोर्ट में नहीं खोला गया है। जबकि माननीय राजस्व मंडल की नजीरों के अनुसार बडा रकबा में से कुछ रकबा पर अतिक्रमण किया है तो पटवारी हलका को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना पडेगा कि आराजी के किस तरफ के हिस्से पर अतिक्रमण हुआ है। तहत अदालत द्वारा पटवारी हलका से जिरह का अवसर नहीं दिया गया जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना हुई है। तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो मौका देखा ना ही मौके की रिपोर्ट तलब की और महज पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है।

तहत अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा लिये गये अपील के तथ्यो एवं बहस के दौरान पेश कानूनी नजीरों को नजरअंदाज कर निर्णय में विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने बाबत शपथ पत्र भी पेश कर दिया था। अतः अधीनस्थ न्यायालय के दोनों निर्णय निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्प० का कथन है कि विवादित आराजी सरकार की है जिस पर उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है । पटवारी हलका की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार थानागाजी के निर्णय दिनांक 04.10.2017 को यथावत रखते हुए अपीलांट को दो माह के सिविल कारावास व जुर्माने व बेदखली के आदेश को यथावत रखा है । इस क्रम में पत्रावली के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलांट ने सरकारी आराजी पर कब्जा किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का बेदखली आदेश न्यायोचित है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अनवर (राज०)

बउनवान नाथूराम बनाम सरकार
अपील सं० 19/2019

तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं है एवं वर्तमान में भूमि खाली अंकन किया है जो उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की ताईद करती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सजा पर किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर का निर्णय दि० 15.01.2019 व तहसीलदार थानागाजी का आदेश दिनांक 04.10.2017 सिविल कारावास की सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते हैं तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर
(अलवर सिविल)